न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– सरिता, आर0ए0एस0

वाद सं :: 235/2012

1. ताराचंद उम्र 40 वर्ष पुत्र केशरदेव | समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी-
2. भागोती उम्र 62 वर्ष बेवा केशरदेव | गण ग्राम सांगरवा तहसील
3. चंदमल उम्र 60 वर्ष पुत्र जगदीश | दांतारामगढ़,जिला सीकर।
4. द्वारका प्रसाद उम्र 50 वर्ष पुत्र जगदीश |

– वादीगण,

बनाम

1. बृजमोहन उम्र 55 वर्ष | पुत्रगण स्व0 सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासीगण
2. हरिप्रसाद उम्र 50 वर्ष | सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
3. प्रभुदयाल उम्र 48 वर्ष |
4. सरस्वती उम्र 75 वर्ष बेवा सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासिनी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
5. कौशल्या उम्र 57 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासिनी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर हाल पत्नी रामप्रसाद निवासी जालसू तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. संतरा उम्र 46 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासिनी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर हाल पत्नी नागरमल निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7. मूली 35 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासिनी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर हाल पत्नी श्रवण निवासिनी मंढा भैंसलाना तहसील रेनवाल जिला जयपुर।
8. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ़।
9. उप पंजीयक, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रफीक मौहम्मद कुरेशी,विनोद कुमार महला ,वकील वादीगण की ओर से।
2.श्री प्रभातीलाल,प्रति0सं0 3 से 7 की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा,बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एंव दुरूस्ती जमाबंदी अंतर्गत धारा 88, 188, रा0का0अधि0 सपठित धारा 136 एलआरए एक्ट।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निर्णय दिनांक :: 12.4.2022

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के वंशज एक ही है, जिनका सजरा खानदान वाद की मद सं0 1 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के वंशज गुलझारी थे। परन्तु सुरजा लक्ष्मीनारायण के बाल्यकाल में ही गोद चले जाने के कारण गुलझारी की संपत्ति से हक,अधिकार समाप्त होकर लक्ष्मीनारायण की संपत्ति में अधिकार निहित हो गये है और लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने पर उनकी पगड़ी भी सुरजाराम के बंधी थी व अब भी लक्ष्मीनारायण की चल व अचल संपत्ति वाके सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ की संपत्ति पर काबिज चले आ रहे है। ग्रम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल रकबा 3.16 है0 बा0तृतीय अवस्थित है, जिसको राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व वादीगण के वंशज गुलझारी फौत हो चुके थे व उक्त कृषि भूमि का लगान जागीरदार को एंव बाद में सरकार को वादीगण के पूर्वज जगदीश ही अदा करते आये है। परन्तु सुरजाराम के लक्ष्मीनारायण के यहां गोद चले जाने के बाद भी सहवन से सुरजाराम का नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया,जिसकी वादीगण को कभी जानकारी नहीं रही। परन्तु अब जब वादीगण ने उक्त बारानी भूमि को सुधार कर सिंचित बनाने के प्रयोजन से 40 वर्ष पूर्व बने कुएं से विधुत कनेक्शन पत्रावली भरने वास्ते जब ह0प0 से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब पता चला कि उक्त कि उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का नाम बिना कब्जे, काश्त व आधार के गलत रूप से चला आ रहा है एंव जब प्रतिवादीगण से रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कहा तो साफ इंकार हो गये, बल्कि उल्टा काश्त में दखल देने व विक्रय करने की एलानियां धमकी देने लग गये। वादीगण भी अपने हक हिस्से की संपूर्ण भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एंव बाउंडस किया जाना आवश्यक होने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद की मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 व 2 का 1/8 हिस्सा और सं0 3 व 4 का गीता स्त्री चौथमल के साथ 3/8 हिस्सा नाम गलत अंकन चला आ रहा है, जबकि गीता के फौत हुये करीब 30 साल हो गये व वादीगण ही उनके ना औलाद चौथमल गीता के फोत होने पर वादीगण ही एकमात्र वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हो चुके है बाकी 1/2

सहायक कलक्टर(मु॰)सीकर

हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम निराधर चला आ रहा है, क्योंकि पैमाईश के समय वादीगण के पूर्वज जगदीश प्रसाद ही काश्त करते चले आ रहे थे व कूप निर्माण करवाया था और सुरजमल उर्फ सुरजा अपने जाईन्दा मां बाप की स्वीकृति से लक्ष्मीनारायण ने अपनी धर्मपत्नि की सहमति से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गोद देने व लेने की रस्म निर्वाह करते हुए गोद चले गये,उनका लालन पालन पोषण व शादी भी लक्ष्मीनारायण ने ही की थी, तत्पश्चात् कुछ सालों बाद ही लक्ष्मीनारायण अज्ञातबास में चले गये और उक्त लक्ष्मीनारायण की समस्त संपत्तियों पर बहैसियत दत्तक पुत्र सुरजाराम काबिज है व वादग्रस्त संपत्तियों में कभी कोई हक, हिस्सा नहीं रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम होने से विरासत के नामान्तरकण में प्रति0सं0 1 ता 7 का नाम अंकित हो गया है, जिसे हजफ किया जाकर कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 व ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कृषि भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/4,1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाकर पृथक लगान कायम किया जाना उचित व आवश्यक है ताकि पृथक–पृथक हिस्से को उन्नत कर हिस्सेदार सही उपयोग में ले सके। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 शातिर किस्म के व्यक्ति है, जिनका भूमाफियाओं से सांठ–गांठ है व बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजी को विकय करने व बलात अन्य केतागणों को कब्जा करवाने संबंधी कुचेष्टाएं शुरू कर दी गई है। वादीगण ने वाद पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क,ख,ग,घ,ड़ अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रति0सं0 1 ता 7 के विरूद्ध डिकी की जाये कि ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल रकबा 3.16 है0 का वादीगण को काबिज, खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रति0 सं0 1 ता 7 तथा मृतक गीता स्त्री चौथमल (मृतक) का नामू भी हजफ फरमाया जावे व वादीगण बहिस्सा बराबर बंटवारा कर राजस्व नक्शें में उपरोक्तानुसार तरमीम कर पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे व प्रति0सं0 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 7 जरिये वकील उपस्थित आये तथा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1, 2, 3, 4, 5, जिस प्रकार से तहरीर है, गलत

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

होने से अस्वीकार है। मद सं0 6, 7, 8, 9 कानूनी है। मद सं0 10 में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का वादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2. 33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 अवस्थित है, जिसके पुराने ख0नं0 4 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा एंव ख0नं0 27 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा है। इस भूमि को राज0काश्त0अधिन प्रभाव में आने से पूर्व से ही प्रतिवादीगण का पिता सुरजमल काश्त किया करता था, लगान जागीरदार को अदा किया करता था। उसके बाद राज0काश्त0अधिनियम प्रभाव में आया तब लगान सरकार को अदा किया है। यही कारण कि जवाबदाता का पिता का नाम जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में उपकृषक के रूप में दर्ज है एंव गिरदावरियों में भी जवाब दातागण के पिता का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। परन्तु अज्ञानतावश इन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग पर जगदीश का भी नाम दर्ज हो गया जिसके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण का नाम दर्ज हुआ है जबकि वादीगण के पूर्वज जगदीश प्रसाद ने वादग्रस्त कृषि भूमियों को कभी भी काश्त नहीं किया ना ही लगान अदा किया। इसके विपरीत जवाबदातागण के पिता को राज0 काश्त0 अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही संपूर्ण भूमि पर कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके थे, जिनके स्वर्गतवास के पश्चात् जवाबदातागण काबिज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण वादीगण के मन में बेईमानी आ गई जो कि वादग्रस्त आराजियात पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आमादा है एंव इन कृषि भूमियों के 1/2 हिस्सा पर वादीगण का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर्तागण के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण वादग्रस्त आराजी में वादीगण एंव गीता पत्नी चौथमल के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा का खातेमदार काश्तकार घोषित करवाने एंव वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रतिदावा का कारण वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत कब्जा करने की जवाबदातागण को दिनांक 16.10.2013 को एहलानियां धमकी देने के कारण तहत अदालत वाला पैदा हुआ एंव प्रतिदावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिदावा पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

की मद सं0 15 की उप मद क,ख,ग,घ अनुसार ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 में वादीगण एंव गीता पत्नी चौथमल के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि का प्रति0सं0 1 लगायत 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु आदेशित किया जावे तथा वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाने हेतु अनुतोष चाहा है।

वादीगण ने जवाब काउन्टर दावा पेश कर काउन्टर क्लेम की मद सं0 11 में जिस तरह से तहरीर की गई है, गलत होने से स्वीकार नहीं है। मद सं0 12 जिस तरह से तहरीर की गई है,गलत होने से स्वीकार नहीं है। मद सं0 13 व 14 कानूनी है। मद सं0 15 में वर्णित सहायताएं काउन्टर दावा कर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रतिवादावा विशेष हर्जे खारिज किये जाने योग्य है।

वाद में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :-

1. आया विवादित आराजी ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 व ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल रकबा 3.16 है0 में प्रतिवादीगण के पूर्वज सुरजा का लक्ष्मीनारायण के गोद चले जाने से प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है ? जिम्मे वादीगण
2. आया विवादित आराजियात पर वादीगण कब्जा काश्त है और विवादित आराजी की खातेदारी उद्घोषणा करवाने व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ करवाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण
3. आया विवादित आराजी वादीगण की न होकर प्रतिवादीगण की है एंव प्रतिवादीगण विवादित आराजियात में से वादीगण का नाम हजफ करवाने के अधिकारी है ? जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7
4. अनुतोष।

वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2065-68 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-01, नकल आंशिक नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-02, पेश किए गए। वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र श्री ताराचंद पुत्र श्री केशरदेव जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर पीडब्ल्यू-2, शपथ पत्र श्री

सहायक कलक्टर(मु॰)सीकर

द्वारका प्रसाद पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर एंव शपथ पत्र चांदमल पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण नि0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर का पेश किया। वादीगण के वकील द्वारा वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (27) 2020 पेज नं0पेज नं0 8,आरबीजे (28) 2021पेज नं0 526, (2020 आरबीजे 201) (2021 आरबीजे 245) पेश किए गए।

प्रतिवादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2019–22 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–1, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –ए–2 , जमाबंदी संवत् 2009–12 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–3, जमाबंदी संवत् 2018–21 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–4,जमाबंदी संवत् 2024–26 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–5, पेश की। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में शपथ पत्र बृजमोहन पुत्र सुरजमल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर डी0डब्ल्यू0 5, शपथ पत्र बोदूराम पुत्र स्व0 नारायणराम जाति कुमावत निवासी सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर डी0डब्ल्यू0 4,शपथ–पत्र प्रभूदयाल पुत्र स्व0 सुरजमल जाति ब्राहम्ण नि0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ,सीकर एनएडब्ल्यू–1,शपथ–पत्र केशरदेव पुत्र भोलूराम जाति गुर्जर नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर एनएडब्ल्यू–2,शपथ पत्र कालूराम पुत्र मालाराम जाति बलाई नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर एनएडब्ल्यू–3 पेश किये गये। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त दावा खारिज करने के संबंध में आरआरटी 2001 (2) पेज 1223, डीएनजे 2004 (2) पेज 533,डीएनजे 2009(2) (राज0)पेज 720, आरआरडी 1989 पेज 744,आरआरटी 2020(1) पेज–1 एंव प्रति0सं0 3 से 7 का प्रति दावा स्वीकार करके प्रतिदावा को डिक्री करने के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2017(1) रेवेन्यू पेज 288आरए, आरआरडी 1996 (एससी) पेज 535,आरआरटी 2013(2) पेज 1128, 2007(3)(राज0) एनजे –पी–1339,आरएलडब्ल्यू 2003 राज0 पेज 233 पेश किए गए।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,जवाब दावा, काउन्टर क्लेम,साक्ष्य में वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा, काउन्टर क्लेम , साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव न्यायिक दृष्टांत में अकित तथ्यों को ही दोहराया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

प्रकरण का सारभूत तथ्य यह है कि वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण के कथनानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के वंशज एक ही है, इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के वंशज गुलझारी थे। परन्तु सुरजा लक्ष्मीनारायण के बाल्यकाल में ही गोद चले जाने के कारण गुलझारी की संपत्ति से हक,अधिकार समाप्त होकर लक्ष्मीनारायण की संपत्ति में अधिकार निहित हो गये है और लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने पर उनकी पगड़ी भी सुरजाराम के बंधी थी व अब भी लक्ष्मीनारायण की चल व अचल संपत्ति वाके सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ की संपत्ति पर काबिज चले आ रहे है। ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल रकबा 3.16 है0 बा0तृतीय अवस्थित है, जिसको राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व वादीगण के वंशज गुलझारी फौत हो चुके थे व उक्त कृषि भूमि का लगान जागीरदार को एंव बाद में सरकार को वादीगण के पूर्वज जगदीश ही अदा करते आये है। परन्तु सुरजाराम के लक्ष्मीनारायण के यहां गोद चले जाने के बाद भी सहवन से सुरजाराम का नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया,जिसकी वादीगण को कभी जानकारी नहीं रही। परन्तु अब जब वादीगण ने उक्त बारानी भूमि को सुधार कर सिंचित बनाने के प्रयोजन से 40 वर्ष पूर्व बने कुएं से विधुत कनेक्शन पत्रावली भरने वास्ते जब ह0प0 से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब पता चला कि उक्त कि उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का नाम बिना कब्जे, काश्त व आधार के गलत रूप से चला आ रहा है एंव जब प्रतिवादीगण से रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कहा तो साफ इंकार हो गये, बल्कि उल्टा काश्त में दखल देने व विक्रय करने की एलानियां धमकी देने लग गये। वादीगण भी अपने हक हिस्से की संपूर्ण भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एंव बाउंडस किया जाना आवश्यक होने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम होने से विरासत के नामान्तरकण में प्रति0सं0 1 ता 7 का नाम अंकित हो गया है, जिसे हजफ किया जाकर कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 व ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कृषि भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/4,1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाकर पृथक लगान कायम किया जाना उचित व आवश्यक है।

प्रति0सं0 1 ता 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर अवगत कराया कि उनके पिता सुरजा कभी भी लक्ष्मीनारायण के गोद नहीं गया

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

था। लक्ष्मीनरायण ने कभी गोद लिया था ना ही गोद लेने की रस्म पूर्ण हुई थी। सुरजा को ना ही कभी लक्ष्मीनारायण के दत्तक पुत्र की हैसियत से संपत्ति प्राप्त हुई। वादीगण के पूर्वज जगदीश का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। ना ही सुरजाराम का वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में सहवन से नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी उनके पिता सुरजा के ही कब्जा अधिकार एंव खातेदारी की भूमि रही है, जिसने राज0काश्त0अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी को काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था। लगान भी पूर्व में जागीरदार व बाद में सरकार को अदा करता रहा है। इस कारण सुरजा को वादग्रस्त आराजी संपूर्ण पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिनके निर्वसीयति स्वर्गवास के पाश्चात् संपूर्ण आराजी स्व0 सुरजा के सभी वारिसान को प्राप्त हो गई, जिसपर निरन्तर एंव निर्विवाद रूप से काबिज है एंव वादग्रस्त आराजी में 40 वर्ष पूर्व कुंए का निर्माण भी उनके पिता सुरजा ने ही अपने खर्चे पर किया था। परन्तु वादीगण का वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग पर गलत रूप से नाम दर्ज होने के कारण उनके मन में बेईमानी आ गई,जिस कारण झुंठे कथनों के आधार पर वादपत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी उनके पिता सुरजा के कब्जा अधिकार एंव खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिनके राजस्व रिकार्ड में वादीगण एंव जगदीश प्रसाद का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है। वादीगण का किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं है। काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 अवस्थित है, जिसके पुराने ख0नं0 4 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा एंव ख0नं0 27 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा है। इस भूमि को राज0काश्त0अधिन प्रभाव में आने से पूर्व से ही प्रतिवादीगण का पिता सुरजमल काश्त किया करता था, लगान जागीरदार को अदा किया करता था। उसके बाद राज0काश्त0अधिनियम प्रभाव में आया तब लगान सरकार को अदा किया है। यही कारण कि जवाबदाता का पिता का नाम जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में उपकृषक के रूप में दर्ज है एंव गिरदावरियों में भी जवाब दातागण के पिता का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। परन्तु अज्ञानतावश इन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग पर जगदीश का भी नाम दर्ज हो गया जिसके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण का नाम दर्ज हुआ है जबकि वादीगण के पूर्वज जगदीश प्रसाद ने वादग्रस्त कृषि भूमियों को कभी भी काश्त नहीं किया ना ही लगान अदा

सहायक कलक्टर(मु॰)सीकर

किया। उनके पिता को राज0 काश्त0 अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही संपूर्ण भूमि पर कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके थे, जिनके स्वर्गतवास के पश्चात् जवाबदातागण काबिज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण वादीगण के मन में बेईमानी आ गई जो कि वादग्रस्त आराजियात पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आमादा है एंव इन कृषि भूमियों के 1/2 हिस्सा पर वादीगण का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर्तागण के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदावा पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की मद सं0 15 की उप मद क,ख,ग,घ अनुसार ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 में वादीगण एंव गीता पत्नी चौथमल के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि का प्रति0सं0 1 लगायत 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने एंव वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान के साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि गम्रम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल रकबा 3.16 है0 बा0तृतीय पर प्रतिवादीगण का कब्जा पुराने समय से चला आ रहा है,जो प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों एंव साक्ष्य वादी में द्वारका प्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की जिरह से भी साबित होता है,जिसमें उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया है तथा वादीगण व स्वंय का कब्जा नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 का अवलोकन करने पर भी जवाबदाता के पिता का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज पाया गया साथ ही गिरदावरियों में भी सुरजमल का नाम कृषक के रूप में दर्ज होना पाया गया है। इस प्रकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही संपूर्ण भूमि पर कब्जा होने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त पूर्व से ही है तथा वादी द्वारका प्रसाद की जिरह से भी वादीगण का कब्जा न होकर प्रतिवादीगण का कब्जा साबित होना पाया जाता है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

इसके अतिरिक्त वकील प्रतिवादीगण ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है, का अवलोकन करने पर प्रकरण में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2004 (2)पेज 533 गोद ग्रहण का तथ्य सिद्ध नहीं करने पर वादी का वाद खारिज करने हेतु चस्पा होता है तथा न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2017 (1) आरईवी.288 (एच.सी.) संवत् 2012 से काबिज होना साबित होने व 2007 (3)(आरएजे) डीएनजे.पी.1339 गिरदावरियों से प्रतिवादीगण का कब्जा की पूष्टि प्रमाणित करता है। इस प्रकार उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व काउन्टर वाद स्वीकार करने हेतु चस्पा होते है। जबकि वकील वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार वकील वादीगण वाद में अपना कब्जा काश्त साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कब्जा के अभाव में एंव प्रतिवादीगण के पिता सुरजा का लक्ष्मीनारायण के गोद चले जाने के बिन्दु पर बिना साक्ष्य/सबूत के चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार तनकी सं0 1 व 2 जो वादीगण द्वारा सिद्ध की जानी थी। परन्तु वादीगण के कब्जा काश्त के अभाव में तथा सुरजा के लक्ष्मीनारायण के गोद जाने बाबत साक्ष्य/सबूत पेश नहीं करने से वादीगण के पक्ष में साबित होना नहीं पायी जाती है। जबकि तनकी सं0 3 जो प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को सिद्ध करनी थी,जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एंव सबूत एंव राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके पर कब्जा काश्त से उनके पक्ष में सिद्ध होना पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद विरूद्ध वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 4 रकबा 2.33 है0 ख0नं0 23 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 में वादीगण एंव गीता पत्नी चौथमल के नाम से दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करावे तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे कृषि भूमि ख0नं0 4 व 23 कुल किता 2 कुल रकबा 3.16 है0 वाके ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, सीकर में प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने,जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत कब्जा करने,कच्चा

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अथवा पक्का निर्माण करने,खड्डे खोदने,पेड़ काटने,मौका की वास्तविक स्थिति को परिवर्तित करने एंव रहन,बय, मुन्तकिल करने मय नौकर,चाकर, एजेन्ट, स्वजन प्रतिबंधित रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर